

**14.03.2019**

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली आज धारा-200द0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य हेतु नियत है, कोई साक्षी उपस्थित नहीं है और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवाद, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट  
महराजगंज